न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व0 वाद संख्या 07/2017

1. श्रीमति मोहिनी देवी पत्नि स्व0 श्री प्रेमसिंह रावत
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह रावत
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह रावत
4. ललिता पुत्री स्व0 श्री प्रेमसिंह रावत
5. शारदा पुत्री स्व0 श्री प्रेमसिंह रावत

   सभी जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. जोधसिंह पुत्र श्री हीरासिंह रावत
2. हेमन्द्रसिंह पुत्र श्री जोधसिंह रावत
3. भगवतसिंह पुत्र श्री जोधसिंह रावत

   सभी जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. पन्नासिंह पुत्र श्री हीरासिंह रावत
5. पदमसिंह पुत्र श्री हीरासिंह रावत

   प्रतिवादी स0 4 व 5 जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम भीम (बरतू) जिला राजसमन्द।
6. गणपतसिंह पुत्र श्री पदमसिंह रावत जाति रावत निवासी ग्राम लसाडिया (देवगढ) जिला राजसमन्द।
7. भगवतसिंह पुत्र श्री बन्नासिंह रावत जाति रावत निवासी लोढा कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 21.07.2017

वादी ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है। मौजा पीपलाज भू0 अ0 नि0 क्षेत्र पीपलाज तहसील मसूदा की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता नम्बर 329 खसरा नम्बर 2236/1571 रक्बा 01–07–05 बीघा किस्म बरडा भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमियां है जिस पर शान्ति पूर्व तरीके से काबिज चला आ रहा है।

वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में काफी मेहनत कर एवं काफी धन खर्च करके भूमि का वर्तमान रूप दिया किन्तु प्रतिवादीगण अपनी दादागिरी के वशीभूत आए दिन वादीगण को परेशान करते रहते है। एवं वादीगण की सीमा में भी प्रवेश कर अतिक्रमण कर लेते है जिससे प्रतिदिन विवाद की आंशका बनी रहती है प्रतिवादीगण अपनी दादागिरी वशीभूत

वादीगण की भूमि पर काबिज होना चाहते है। इस बदनियति से प्रतिवादीगण ने मौके पर वादीगण के पडे पत्थर उठा लिये एवं कब्जा करने की कोशिश की और जे सी बी मशीन लाकर वादीगण की खातेदारी भूमि में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिस बाबत् वादीगण ने उन्हे कहा तो इन्कार हो गए एवं जो कर सकते हो कर लो वाली धमकियां दी एवं वादीगण के साथ मारपीट करने की कोशिश की एसी स्थिति में यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण कोई संबध सरोकार नही है ना ही वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखलंदाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है।

इसलिए वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2236/1571 की आराजी पर किसी प्रकार के निर्माण करने एवं दीगर व्यक्तियों से करवाने से निषेध किया जावे।

वाद दायर कर प्रतिवादी 1 से 8 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 7 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 8 की और से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त उनका निवेदन रहा कि ग्राम पीपलाज के खसरा नम्बर 2236/1571 रक्बा 01–07–05 में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की खाता स0 329 में मोहिनी पत्नि प्रेमसिंह नरेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह ललिता शारदा पुत्रिया प्रेमसिंह की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा लठठा अनुसार खसरा नम्बर 2236/1571 की माप 10 गठठो में है जबकि मौका अनुसार विवादित आराजी में 17 गठठो पर कब्जा है नक्शा लठठा एवं मौका अनुसार खसरा नम्बर 2236/1571 पर खातेदारो का ही कब्जा है। प्रतिवादीगणों का खसरा नम्बर 2236/1571 पर अतिक्रमण नही है।

बहस विद्धान अभिभाषकगण वादिया एवं प्रतिवादीगण एवं पैरोकार सरकार स0 8 सुनी गई बहस में वादी अभिभाषक ने वाद कथन ही दोहराये वही वकील प्रतिवादीगण में वाद कथन से इन्कारी की और कथन किये कि उसने कही काई अतिक्रमण नही किया है वाद खारिज किया जावे।

मैने बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पीपलाज की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता 329 में आराजी ख0 न0 2236/1571 रक्बा 01–07–05 बीघा वादीगण की खातेदारी की बरड़ा भूमि है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में अतिक्रमण नही करना पाया जाता है। चूकि वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी पास पास में होने से आए दिन सीमा को लेकर विवाद की स्थिति रहने की आशिका के मध्यनजर न्यायहित में वादीगण का वाद आशिंक स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे एक दुसरे की खातेदारी भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 17:05:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: